राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail.nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

पत्रांकः– 877 /241/NULM/तीन/2001(SUH)- Vol-II दिनांक 05/01/2018

सेवा में,

1. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे, हजरतगंज, लखनऊ**
2. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर पूर्व रेलवे, अशोक मार्ग लखनऊ**
3. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे, मुरादाबाद**
4. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे, इज्जतनगर बरेली**
5. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद**
6. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे झांसी**
7. **मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे आगरा**
8. **मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर–पूर्व रेलवे, वाराणसी।**
9. **मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर–मध्य रेलवे, पं0 दीनदयाल नगर (मुगलसराय)।**

विषयः–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं 08.11.2017 के अनुपालन में जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु रेलवे के पुराने कोच उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध शासन के पत्र सं0–1174/69–1–2017–11(रिट)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 इस कार्यालय के पत्र सं0–698/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 13.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं0 55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) सं0 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य विचाराधीन है, जिसमें शहरी बेघरों के लिए समुचित संख्या में अपेक्षित सेवाओं और सुविधाओं से युक्त सभी मौसम के लिए स्थायी आश्रय गृह उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यू0पी0 सेल, भारत सरकार द्वारा पत्र सं0– K-12/20/2017-UPA II SECTION (EFS 3021581) सितम्बर 2017 के साथ संलग्न– मा0 रेल मंत्री भारत सरकार द्वारा मा0 मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सम्बोधित पत्र सं0–2017/M(C)203/1/72 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अनुपयोगी रेलवे यात्री कोच को शेल्टर होम में परिवर्तित कर शेल्टर होम के रूप में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुपयोगी रेलवे यात्री कोच को शेल्टर होम में परिवर्तित कर तत्काल शेल्टर होम के रूप में उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की नियमित सुनवाई मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है तथा प्रकरण में दिनांक 10.01.2018 को आगामी तिथि नियत है, जिससे शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के विभिन्न विकल्पों के सम्बन्ध में विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया जाना है, जिसके दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अनुपयोगी रेलवे यात्री कोच जो लघु मरम्मत के उपरांत रहने लायक बनाये जा सकते हों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें जैसे– कोचों की

सं0, कोचों की वर्तमान में अवस्थिति (किस शहर के किस रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है अथवा उपलब्ध कराये जा सकते हैं) के विवरण के साथ ही कोचों को रहने लायक बनाये जाने हेतु आवश्यक मरम्मत कहां और कैसे की जा सकेगी आदि का विवरण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार रेलवे के अनुपयोगी यात्री कोचों की उपलब्धता आदि का विवरण राज्य मिशन निदेशालय को ई–मेल **suhnulmup@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का अनुपालन किया जा सके। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यू0पी0ए0 सेल निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से रेल मंत्रालय को अनुरोध करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, वाराणसी एवं चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि मण्डल रेल प्रबंधक से समन्वय कर आवश्यक सूचना तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, वाराणसी एवं चन्दौली उ0प्र0।
6. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी डूडा को समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
7. वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक